

राजस्थान-सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर बुहाना जिला झुझुनू (राज.)
(दिनांक 02.07.2025)

राजस्व प्रकरण प्रार्थना पत्र सं. - 89/2025

OCMS NO :- 2025/170

किस्म मुकदमा :- 136 LR Act.


जनवान :- शारदा देवी बनाम राज0 सरकार

-आदेश:-

दिनांक : 02.07.2025

प्रार्थी के "नाम दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, प्रार्थी प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज एवं पटवारी हल्का श्यामपुरा मैनाना की रिपोर्ट के आधार पर, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम मैनाना की जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 में खाता संख्या 19 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं :-

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है)
1	मैनाना	19	शारदा पत्नी शेर सिंह दिव्या कुमारी पुत्री शेर सिंह शालू पुत्री शेर सिंह सुमित कुमार पुत्र शेर सिंह	शारदा पत्नी सुमेर सिंह दिव्या कुमारी पुत्री सुमेर सिंह शालू पुत्री सुमेर सिंह टिन्कू सिहाग पुत्र सुमेर सिंह


उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

दिनांक :- 2/7/25

क्रमांक :- राजस्व/2025/560

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार बुहाना को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किया जाकर सात दिवस में पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. शारदा पत्नी सुमेर सिंह जाति जाट निवासी मैनाना तहसील बुहाना जिला झुझुनू राज0 को सूचनार्थ।




उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलेक्टर, बुहाना

